उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 20 | 16-31 अक्टूबर 2024 | ₹ 20/-

उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

- पॉपुलर फ्रंट की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त
- ईरानी सेना की फायरिंग में 250 अफगान नागरिक मरे
- तुर्किये की विमानन कंपनी पर आतंकी हमला
- बांग्लादेशी हिंदुओं का सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 04
पॉपुलर फ्रंट की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त 09
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी 11
विपक्ष द्वारा वक्फ विधेयक हेतु गठित जेपीसी का बहिष्कार करने की धमकी 13
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदरसों को सरकारी सहायता जारी रखने का निर्देश 15

विश्व

ईरानी सेना की फायरिंग में 250 अफगान नागरिक मरे 17
अफगानिस्तान में टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध 18
बांग्लादेशी हिंदुओं का सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन 19
जर्मनी द्वारा इजरायल को दस करोड़ डॉलर के हथियार का निर्यात 21
इंडोनेशिया में हलाल कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला 22

पश्चिम एशिया

तुर्किये की विमानन कंपनी पर आतंकी हमला 24
तुर्किये के कट्टरपंथी मुस्लिम नेता का निधन 25
हमास प्रमुख याह्या सिनवार की हत्या 27
शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया प्रमुख 29
ईरान के सैन्य अड्डों और मिसाइल फैक्ट्रियों पर इजरायल का हमला 30
सूडान में गृहयुद्ध में सैकड़ों मरे 32

सारांश

बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'बटेंगे तो कटेंगे' का नारा दिया था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। इस पर मुस्लिम संगठन और उर्दू प्रेस ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उर्दू अखबारों का दावा है कि संघ देश के वर्तमान सेक्युलर संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है, इसलिए वह हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। उर्दू अखबारों ने मुसलमानों से अपील की है कि वे देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं।

हकीकत यह है कि इस देश में आज भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं, जो देश के वर्तमान संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को तहस-नहस करके इस देश में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह खुलासा किया है कि अतिवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को विदेशी स्रोतों से भारी आर्थिक सहायता मिल रही है। पॉपुलर फ्रंट के 13 हजार से अधिक कार्यकर्ता खाड़ी देशों में मौजूद हैं, जो वहां से भारी धनराशि इकट्ठा करके उसे भारत में इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए भेज रहे हैं। 2022 में भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस समय उसके सैकड़ों कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद इस संगठन की देशद्रोही गतिविधियां लगातार जारी हैं।

मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी हैं। मुस्लिम संगठन देश के अनेक भागों में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सम्मेलन कर रहे हैं। इन सम्मेलनों का उद्देश्य इस विधेयक का विरोध करने के लिए मुसलमानों को तैयार करना है। सरकारी अनुमान के अनुसार मुस्लिम वक्फ संपत्तियों का वर्तमान मूल्य सवा लाख करोड़ से भी अधिक है, लेकिन अधिकांश वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम राजनेता और उनसे संबंधित संगठन काबिज हैं। यही कारण है कि वक्फ माफिया सरकार द्वारा सदन में पेश वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों को माफिया गिरोहों के चंगुल से मुक्त करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है ताकि इन संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए किया जा सके।

शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में जो लोग सत्ता में आए हैं उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इन दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का अभियान चलाया जा रहा है। हिंदुओं के दुकानों, मकानों और मंदिरों में लूटपाट के बाद उनमें आग लगाई जा रही है। यह प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से खदेड़ दिया जाए। इससे परेशान होकर बांग्लादेशी हिंदुओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ा है। इस संबंध में चटगांव में हिंदू संगठन सनातन जागरण मंच द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में यह मांग की गई कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगे भड़काने के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।

तुर्किये में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के सशस्त्र हमलावरों ने तुर्किये की एक विमान उत्पादक फैक्ट्री पर आत्मघाती हमला करके अनेक लोगों की हत्या कर दी है। इसके जवाब में तुर्किये की वायुसेना ने तुर्किये, सीरिया और इराक में कुर्द मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी की है। गौरतलब है कि कुर्द एक अलग कबीला है। इस कबीले के लोग तुर्किये, सीरिया की सीमा और इराक में रहते हैं। कुर्दों की मांग है कि उनके लिए एक स्वशासी राष्ट्र की स्थापना की जाए। जबकि तुर्किये और अन्य इस्लामिक देश उनकी इस मांग के खिलाफ हैं।

उर्दू मीडिया के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

रोजनामा सहारा (27 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' वाले बयान का खुलकर समर्थन किया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने मथुरा में आयोजित आरएसएस के वार्षिक अधिवेशन के समापन पर एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यह संघ के जीवन का मूल मंत्र है। हमें अपने जीवन में 'बटेंगे तो कटेंगे' को कार्यान्वित करना चाहिए। यह हिंदुओं की एकता और जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को यह चेतावनी दी थी कि अगर वे बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा था कि विपक्ष यह चाहता है कि मुसलमान इकट्ठे होकर मजबूत बनें और हिंदू जात-पात में बंटकर कमजोर हो जाएं। विपक्ष ने योगी के इस बयान की आलोचना की थी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी के इस संदेश को विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ाया है।

जब इस संदर्भ में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि एकता बहुत जरूरी है। हमें उसे अपने जीवन में कार्यान्वित करना होगा। लोग इस बात के महत्व को समझ रहे हैं और उसको कार्यान्वित भी कर रहे हैं। हिंदू एकता हिंदुओं और जनकल्याण के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि इस बार आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मथुरा के परखम गांव में आयोजित की गई थी। इस बैठक में देश के सभी प्रांतों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में यह आरोप लगाया गया कि लोग हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। होसबले ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं की संख्या बढ़ी है। इस समय देशभर में संघ की 72,354 शाखाएं चल रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत

सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। विश्वभर में रह रहे हिंदुओं पर जब भी कोई संकट पैदा होता है तो वे मदद के लिए भारत की ओर देखते हैं। सरकार्यवाह ने लव जिहाद का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके कारण समाज में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। लड़कियों को लव जिहाद के दुष्परिणामों के बारे में समझाना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि केरल में 200 लड़कियों को लव जिहाद से बचाया गया है। होसबले ने कहा कि वर्तमान हालात में हिंदुओं की एकता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत से स्थानों पर धर्मांतरण हो रहा है। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमले हुए हैं। वहीं, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि 'बटेंगे तो कटेंगे' कोई नारा नहीं, बल्कि यह सदियों से एक सच्चाई है। यह मामला चुनाव में सिर्फ हार-जीत तक ही सीमित नहीं है। जहां-जहां भी हिंदू कमजोर हुए वह क्षेत्र देश से कट गया।

कौमी तंजीम (29 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमले किए गए। ऐसे हमलों से निपटने के लिए हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए ताकि शांति कायम रह सके। समाचारपत्र ने कहा है कि होसबले ने इस सच्चाई का जिक्र तक नहीं किया कि बहुसंख्यक संप्रदाय के जुलूसों में घुसे हुए शरारती तत्वों ने मुसलमानों के उपासना स्थलों पर हमला किया और वहां पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की ताकि मुसलमानों को उत्तेजित किया जा सके। अच्छा होता कि होसबले हिंदुओं की एकता का संदेश देने के बजाय पूरे राष्ट्र की एकता का संदेश देते। उन्होंने लव जिहाद के बारे में भी लड़कियों को जागृत करने पर जोर दिया है।

वहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक 'न तो कटेंगे और न ही बटेंगे, बल्कि ऐसी बातें करने वाले बाद में पिटेंगे'। उनका यह कहना सत्य पर आधारित है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणामों ने भाजपा और उसके आका आरएसएस को बौखला दिया है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों ने भाजपा के असली चेहरे और उसके कारण देश व संविधान के समक्ष आए संकट को भलीभांति पहचान लिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की अगुवाई में निकाली गई हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान इस सच्चाई को खुले तौर पर महसूस किया गया। यह यात्रा उन क्षेत्रों में विशेष रूप से निकाली गई जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है। गिरिराज सिंह ने इस यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि हिंदुओं का उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है।

इंकलाब (31 अक्टूबर) ने संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' वाले बयान पर संघ ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अब यह नारा भाजपा का प्रिय नारा बन गया है। दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में इस नारे के होर्डिंग लगाए गए हैं।

लोग अपने प्रियजनों को दिवाली का संदेश इसी नारे के साथ भेज रहे हैं। हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि इस नारे के पीछे कौन सी विचारधारा है और संघ परिवार इस नारे के जरिए कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो लोग सत्ता में हैं वे सत्ता में बने रहने के लिए देश को विभाजित करने के रास्ते पर अग्रसर हैं। शुरू से ही संघ परिवार का लक्ष्य हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट करना है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे किसी विशेष धर्म के लोगों को एकजुट होने का उपदेश दें। दुख की बात यह है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग खुलेआम सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं और उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को देशवासियों की एकता और कल्याण की बात करनी चाहिए वे खुलेआम हिंदुओं का चैंपियन बनने हेतु प्रयत्नशील हैं।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल और संघ परिवार देश में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बना रहा है उसके कारण मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है। उनके उपासना स्थलों और मदरसों पर हमले हो रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों का एकमात्र लक्ष्य यह है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों की अलग धार्मिक पहचान को समाप्त कर दिया जाए। मणिपुर एक साल से जल रहा है, लेकिन भाजपा और आरएसएस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। संघ परिवार को सिर्फ यह फिक्र है कि हिंदू समाज जात-पात के नाम पर विभाजित न हो। हालांकि, हिंदू समाज में प्रारंभ से ही उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है। उन्हें सभी सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं। जबकि दलितों को मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। दुख की बात यह है कि संघ परिवार अपने समाज में फैली हुई इन बुराईयों को दूर करने के बजाय मुसलमानों को अपना निशाना बना रहा है। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले संघ परिवार के लोग अपने समाज में फैली हुई छुआछूत को खत्म करें ताकि जात-पात के नाम पर बंटने और कटने की नौबत ही न आए।

हिंदुस्तान (13 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें अपने वजूद को बचाने के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरना पड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदू अपनी रक्षा के लिए एकजुट हुए हों। उन्होंने कहा कि कमजोर होना जुर्म है। हम चाहे जहां भी रहें, हमें ताकतवर होना ही होगा। भागवत का यह तर्क नया नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने

पहली बार इस तरह का बयान दिया हो। दरअसल हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है जैसे गुमराह करने वाले नारे वे इसलिए लगा रहे हैं ताकि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का ध्यान अपनी रक्षा व सुरक्षा पर ही रहे और वे अन्य किसी भी समस्या की ओर ध्यान न दें। आरएसएस और केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने ऐसे ही गुमराह करने वाले झूठे प्रचार के आधार पर सत्ता प्राप्त की है। संघ और भाजपा स्वयं को हिंदुओं का रक्षक करार देते हैं और यह निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों से भयभीत रहें। वे संघ व भाजपा को अपना रक्षक मानते हुए उनका अंधाधुंध समर्थन करते रहें। सत्तारूढ़ भाजपा की विफलता के बारे में कोई सवाल न करें।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि मोहन भागवत का ताजा मशवरा नेक-नीयत पर आधारित नहीं है। हिंदुओं को ताकतवर और एकजुट रहने का संदेश सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वे लंबी अवधि तक सत्ता पर अपनी पकड़ को बरकरार रख सकें, लेकिन मूर्ख हिंदू उनके जादू से स्वतंत्र होने के लिए तैयार नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि संघ व भाजपा के भ्रामक प्रचार को सच मानकर हिंदू बहुमत में होने के बावजूद स्वयं को असुरक्षित और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। संघ प्रमुख ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर के चुनाव का भी जिक्र किया है और दावा किया है कि वहां पर हुए शांतिपूर्ण चुनाव से देश की साख बढ़ी है। भागवत की ये दोनों बातें बेबुनियाद हैं। देश को इस समय गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें हर मोर्चे पर विफल और निकम्मी साबित हो रही हैं। देश में बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी यह वायदा किया था कि हर साल दो करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन दस वर्ष गुजर जाने के बावजूद क्या उन्होंने अपने इस वायदे को पूरा किया है? देश यह समझ चुका है कि यह सिर्फ चुनावी जुमला था, जिसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। भाजपा के शासनकाल में सांप्रदायिकता और धार्मिक वैमनस्य में भारी वृद्धि हुई है और विभिन्न बहानों की आड़ लेकर अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी विश्वभर में निंदा की जा रही है। हद तो यह है कि इन कड़वे तथ्यों के बावजूद मोहन भागवत यह कहते हैं कि भाजपा सुशासन का प्रदर्शन कर रही है। स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने वाले संघ परिवार और भाजपा ने देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर रख दिया है। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काकर हिंदुओं का राजनीतिक शोषण कर रही है। भाजपा हो या संघ परिवार उन्हें देश के हितों से ज्यादा अपने हित प्रिय हैं और वे अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भागवत के बयान की हकीकत को समझ चुके हैं, इसलिए वे उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। अगर भागवत को बांग्लादेश के हिंदुओं का उत्पीड़न नजर आ रहा है तो क्या उन्होंने कभी अपने देश के मुसलमानों की हालत पर चिंता प्रकट की है? हम यह भी कहते हैं कि अगर मोहन भागवत वर्तमान सरकार को यह निर्देश दें कि मुसलमानों पर अत्याचारों का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए तो भाजपा की सरकार उनके इस आदेश को मानने से इंकार नहीं कर सकती। असली समस्या यही है कि राष्ट्रवाद के ठेकेदार भागवत और उनका संगठन देश को विभाजित कर रहा है। हम समझते हैं कि मोहन भागवत और मोदी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने के बजाय अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। अपने दामन पर लगे धब्बों पर भी नजर डालनी चाहिए। अगर आप अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे तभी

आपको दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर उंगली उठाने का हक है।

अखबार-ए-मशरिक (16 अक्टूबर) ने दावा किया है कि आरएसएस अपनी स्थापना के दिन से ही हिंदुओं के वर्चस्व के लिए प्रयत्नशील है। वह अन्य धर्मों के अनुयायियों को हिंदुओं के बराबर अधिकार देने के खिलाफ है। हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जा रहा है और उन्हें यह अहसास कराया जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना में देर नहीं है। भारत अब विश्वगुरु बन चुका है। हिंदुओं को यह बात हमेशा खटकती रहती है कि हिंदू मत के सबसे प्राचीन होने के बावजूद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जा सके। हर हिंदू यह चाहता है कि इस देश के सेक्युलर ढांचे को हिंदू राष्ट्र में बदल दिया जाए। यही कारण है कि जब आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही जाती है तो हिंदुओं का वह वर्ग भी हां में हां मिलाता नजर आता है जो हिंदू होते हुए भी शताब्दियों से भेदभाव का शिकार रहा है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद हिंदू सांप्रदायिकता को नया जीवन मिला है। हैरानी की बात यह है कि न्यायपालिका भी हिंदुत्व से प्रभावित है। अदालतों के फैसलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब न्यायपालिका में भी हिंदुत्व की भावना आ गई है।

हिंदुस्तान (29 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जमात-ए-इस्लामी की तुलना आरएसएस से की है। उनकी यह तुलना सरासर गलत है। जमात-ए-इस्लामी अगर इस्लामिक सिद्धांतों का अनुसरण करता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे आरएसएस का इस्लामिक संस्करण करार दे दिया जाए। जमात-ए-इस्लामी को दीन और इस्लाम का प्रचार करने का अधिकार है। यह राष्ट्रद्रोह नहीं है। जहां तक मुस्लिम लीग का

संबंध है, वह प्रारंभ से ही मुसलमानों के सामाजिक सुधार का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विजयन ने जमात-ए-इस्लामी पर यह भी आरोप लगाया है कि वह देश में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इस आधार पर उसे लोकतंत्र विरोधी ठहराना सरासर गलत है। मुख्यमंत्री को यह याद होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए जमात-ए-इस्लामी और मुस्लिम लीग की तुलना आरएसएस से नहीं की जा सकती।

समाचारपत्र ने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा और जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा में बुनियादी फर्क है। राष्ट्रवाद के नशे में मदहोश आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि देश को कमजोर करने के उद्देश्य से पाकिस्तान को गुप्त सूचना देने वाले ऐसे कई जासूसों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनका संबंध आरएसएस या उससे संबंधित संगठनों से रहा है। इसके उलट एक भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया जा सकता कि जमात-ए-इस्लामी ने किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में भाग लिया हो, इसलिए केरल के मुख्यमंत्री को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए।

सियासत (21 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट बटोरने हेतु संघ ने जबर्दस्त प्रयास शुरू कर दिए हैं। संघ ने अपने सभी सहयोगी संगठनों के माध्यम से जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उसने

छोटे-छोटे समूह बनाने का फैसला किया है, जो अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करेंगे। ये लोग भाजपा का सीधा समर्थन न करके राष्ट्रीय हित, हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रीय विकास के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस बहाने भाजपा के लिए वोट बटोरा जा सके।

पॉपुलर फ्रंट की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त

हिंदुस्तान (19 अक्टूबर) के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित इस्लामिक अतिवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पॉपुलर फ्रंट की 56 करोड़ 56 लाख रुपये की 35 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि गहन जांच में यह पता चला है कि देश की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश में इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने के उद्देश्य से पॉपुलर फ्रंट को विदेशों से हवाला के जरिए करोड़ों रुपये प्राप्त होते रहे हैं। इस अवैध धनराशि को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में स्थित बैंकों की 29 शाखाओं में जमा किया गया था। इन बैंकों में जमा की गई धनराशि का अनुमान 94 करोड़ रुपये लगाया गया है। अभी इस संदर्भ में जांच जारी है। अब तक ईडी ने पॉपुलर फ्रंट के 26 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फरवरी 2021 से मई 2024 तक नौ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ईडी की जांच के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 13 हजार से अधिक कार्यकर्ता सिंगापुर, कुवैत, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में सक्रिय हैं। वे वहां पर पॉपुलर फ्रंट के लिए धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलर फ्रंट यह दावा करता है कि वह एक सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना है। हालांकि, उसका असली उद्देश्य एक हिंसक इस्लामिक आंदोलन चलाना है ताकि लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश में इस्लामिक खिलाफत स्थापित की जा सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लिए जिला कार्यकारी समितियां बनाई

हैं। इन समितियों के माध्यम से भारत के इस्लामीकरण के लिए फंड जुटाया जाता था। यह फंड अलग-अलग बैंकिंग चैनलों और हवाला के जरिए भारत भेजा जाता था ताकि इस फंड को ट्रेस न किया जा सके। यह फंड भारत में सक्रिय पॉपुलर फ्रंट के अधिकारियों और आतंकवादियों तक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहुंचाया जाता था। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और ईडी ने देशभर में स्थित पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर छापे मारे थे और इस संगठन से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2022 को इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से विभिन्न सरकारी एजेंसियां पॉपुलर फ्रंट से जुड़े हुए लोगों और संगठनों का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं।

पॉपुलर फ्रंट का दावा है कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की जांच में पता चला है कि शारीरिक शिक्षा के नाम पर संचालित गुप्त शिविरों में पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को विस्फोटक पदार्थ बनाने, चाकू चलाने और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संगठन से जुड़े हुए 278 लोग विभिन्न जेलों में बंद हैं। इन लोगों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। इस प्रेस विज्ञप्ति में पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। विज्ञप्ति में यह भी दावा किया गया था कि इस संगठन द्वारा समाज के विभिन्न संप्रदायों में नफरत का प्रचार किया जा रहा है और समाज के एक संप्रदाय में यह भावना जागृत की जा रही है कि वे इस देश में असुरक्षित हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा

के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 1993 में चेन्नई स्थित संघ कार्यालय में बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 11 लोग मारे गए थे और सात घायल हुए थे। सीबीआई की जांच में यह पता चला था कि इस धमाके के पीछे एक अतिवादी संगठन इस्लामिक सेवक संघ का हाथ है। 1994 में तमिल नव दिवस के अवसर पर एक अन्य धमाका हिंदू मुन्नानी के कार्यालय में हुआ था। इस धमाके में एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इस धमाके के पीछे एक आतंकी संगठन अल-उम्मा और इस्लामिक सेवक संघ का हाथ पाया गया था। इस संगठन का प्रमुख मौलाना अब्दुल नासिर मदनी है। उसी दौरान इस संगठन द्वारा तमिलनाडु के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर धमाके किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए। इन धमाकों के पीछे एक आतंकवादी मुश्ताक अहमद का हाथ पाया गया था। सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपये ईनाम की घोषणा की थी। यह आतंकवादी 24 सालों तक पुलिस की चंगुल से बचता रहा। आखिरकार 2018 में मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन धमाकों के सिलसिले में चेन्नई की एक अदालत ने 2007 में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

जब 1992 में इस्लामिक सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा तो उसने अल-उम्मा और जिहाद कमेटी का लबादा ओढ़ लिया। जब इन अतिवादी

संगठनों पर भी सरकारी शिकंजा कसा तो एक अन्य आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का सहारा लिया गया। सिमी के तत्कालीन अध्यक्ष शाहिद बद्र फलाही ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि "भारत का इस्लामीकरण हमारा लक्ष्य है। हम भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं।" सिमी के बिहार के जोनल सेक्रेटरी रियाजुल मुशाहिल ने कहा था कि "हमारा संविधान कुरान है। अगर भारतीय संविधान कुरान के विपरीत है तो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। हम हर हाल में कुरान को ही मानेंगे।" इसके बाद सरकार ने सिमी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।

सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकारी शिकंजे से बचने के लिए इस्लामिक सेवक संघ और सिमी ने तीन अन्य संगठन बना डाले, जिनमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और डिफेंस फ्रंट शामिल हैं। बाद में जब सरकारी एजेंसियों ने इन तीनों संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की तो 2006 में एक नया संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसका घोषित लक्ष्य मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना था। इसके अतिरिक्त इस संगठन का एक अन्य लक्ष्य गैर-मुसलमानों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान शुरू करना था। पहले पॉपुलर फ्रंट का मुख्यालय केरल के कोझीकोड में था और उसकी शाखाएं दक्षिण भारत के चार राज्यों तक ही सीमित थीं। बाद में उत्तर भारत में पॉपुलर फ्रंट के कार्य में विस्तार हेतु इसका मुख्यालय दिल्ली की एक बस्ती ओखला में स्थानांतरण कर दिया गया। अब इस संगठन की शाखाएं देश के 23 राज्यों में फैल चुकी हैं।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी

रोजनामा सहारा (19 अक्टूबर) के अनुसार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी हो रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार हेतु विशेषज्ञों की जो कमेटी गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला किया है ताकि सभी को समान न्याय और विकास के समान अवसर मिल सके। उन्होंने यह संभावना व्यक्त की है कि समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि अगर पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। 2022 में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को 20 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। इस संबंध में कमेटी ने ढ़ाई लाख लोगों

से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया था। इसके बाद 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य के सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत हेतु एक समान कानून होगा। 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपत्ति के लिए शादी व तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शादी का पंजीकरण न करवाने पर दोषी व्यक्ति को 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और उसे सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तलाक हेतु पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान कानून और शर्तें लागू की जाएंगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। अगर जोड़े में से कोई भी व्यक्ति बिना अपने जीवनसाथी की अनुमति के धर्मांतरण करता है तो दूसरे व्यक्ति को उससे तलाक और गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। पति-पत्नी के बीच तलाक होने पर पांच वर्ष तक के बच्चे अपनी मां के पास रहेंगे। अगर पति-पत्नी जीवित होंगे तो उन्हें दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होगी। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों के बराबर अधिकार होंगे। जायज और नाजायज बच्चों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा समान रूप से किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। पंजीकरण रसीद से ही युगल किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चे को जायज संतान माना जाएगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं तो उन्हें उसके लिए भी पंजीकरण करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे छह महीने की कैद होगी और उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

एतेमाद (22 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक ओर तो उत्तराखंड की सरकार अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर रही है। दूसरी ओर, मुसलमानों के लिए राज्य में जीना दूभर किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले के एक कस्बे में व्यापारियों के संगठन ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की घोषणा की है और उन्हें यह आदेश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर तक इस गांव को खाली कर दें। वहां के सभी दुकानों के मालिकों को भी यह निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी

मुसलमान को नौकरी पर रखेगा या उसे अपना मकान किराए पर देगा तो उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सच तो यह है कि देश में दिन-प्रतिदिन मुसलमानों के लिए जीना दूभर किया जा रहा है। राज्य में मुसलमानों के उपासना स्थलों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है और उन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि संघ परिवार देश में मुसलमानों को अछूत बनाने का अभियान चला रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी घटनाओं का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।

विपक्ष द्वारा वक्फ विधेयक हेतु गठित जेपीसी का बहिष्कार करने की धमकी

इंकलाब (5 नवंबर) के अनुसार विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का बहिष्कार करने की धमकी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे एक संयुक्त पत्र में विपक्षी सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल एकपक्षीय फैसले ले रहे हैं। वे यह कोशिश कर रहे हैं कि इस विधेयक के विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं उसे किसी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए और इस विधेयक को संसद से पारित करवाया जाए। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जगदंबिका पाल जानबूझकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। पत्र में लोकसभा के अध्यक्ष से यह आग्रह किया गया है कि वे जगदंबिका पाल को यह निर्देश दें कि वे किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले समिति के सदस्यों से विधिवत सलाह-मशवरा करें ताकि देश की जनता को यह विश्वास दिलाया जा सके कि कमेटी की सिफारिश बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से की गई है। इस पत्र पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी के सदस्य कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और अन्य विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार जकात फाउंडेशन के प्रमुख जफर महमूद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद

कासिम रसूल इलियास ने यह आरोप लगाया है कि कमेटी के अध्यक्ष का रवैया एकपक्षीय है। वे जानबूझकर ऐसे लोगों को कमेटी के सामने अपना मत व्यक्त करने के लिए बुला रहे हैं जिनका वक्फ संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर राय रखने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागृति मंच और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाने का विरोध किया है। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि जगदंबिका पाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे यह साबित कर सकें कि देश के अधिकांश लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार विजयवाड़ा में आयोजित वक्फ संरक्षण सम्मेलन में भाग लेते हुए तेलुगु देशम पार्टी के नेता केसिनेनी शिवनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वी. विजयसाई रेड्डी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। जमात-ए-इस्लामी के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे वर्तमान वक्फ संशोधन विधेयक को रद्द करवाने के लिए मैदान में आएं और इसका डटकर विरोध करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुस्लिम वक्फ को हड़पने की एक सरकारी साजिश है।

इंकलाब (4 नवंबर) के अनुसार दिल्ली में आयोजित संविधान संरक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुछ लोग इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने इस नापाक इरादे में सफल नहीं होंगे और उनका नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता और वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम इसका हर मंच से विरोध करेंगे और इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देंगे।

औरंगाबाद टाइम्स (29 अक्टूबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वक्फ की हिफाजत के लिए हम अपने प्राण न्योछावर कर देंगे।

सियासत (29 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने अपना मत व्यक्त करने से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से किसी भी तरह की सलाह नहीं ली। उन्होंने कहा कि किसी भी गैर-मुसलमान को वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने कमेटी के अध्यक्ष जगदंपिका पाल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार से कोई राय नहीं ली। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद जेपीसी की बैठक से उठकर चले गए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदरसों को सरकारी सहायता जारी रखने का निर्देश

अवधनामा (22 अक्टूबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के निर्देश पर अस्थाई रोक लगा दी है। एनसीपीसीआर ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया था कि वे इस्लामी मदरसों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को बंद कर दें। इसके साथ ही अदालत ने एनसीपीसीआर के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में नामांकन करवाने की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में जमीयत उलेमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है।

जमीयत उलेमा की ओर से अदालत में पेश वकीलों ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के बारे में जो निर्देश दिया है वह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि एनसीपीसीआर ने इस साल के सात और 25 जून को राज्य सरकारों को जो निर्देश दिए थे उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने एनसीपीसीआर, उत्तर प्रदेश सरकार और त्रिपुरा आदि कुछ राज्यों द्वारा मदरसों के बारे में दिए गए निर्देशों पर रोक लगाने की अपील की थी।

गौरतलब है कि एनसीपीसीआर ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह सुझाव दिया था कि मदरसों को सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि मदरसों में बच्चों को न तो बेसिक शिक्षा दी जाती है और न ही उन्हें मिड डे मील की सुविधा से ही कोई लाभ होता है। आयोग ने कहा था कि मदरसों द्वारा बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उनमें पूरा फोकस सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर ही होता है। इससे बच्चों को अन्य विषयों की शिक्षा नहीं मिल पाती। इसके कारण वे अन्य बच्चों के मुकाबले में पिछड़ जाते हैं।

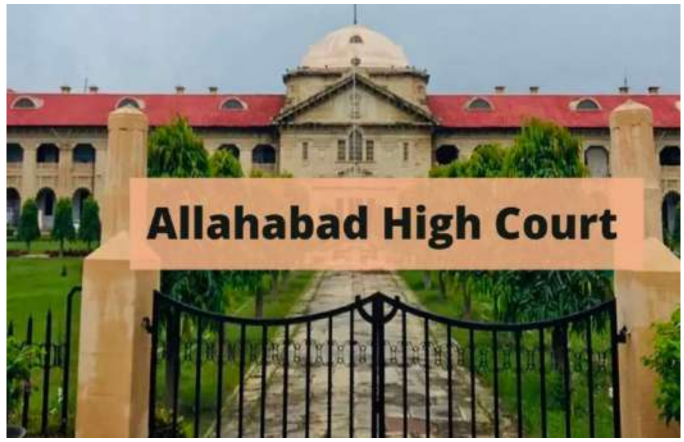

रोजनामा सहारा (22 अक्टूबर) के अनुसार इस साल के मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत का यह मानना था कि मदरसे संविधान की धारा 14 के तहत सेक्युलरिज्म के मूल्यों का पालन नहीं करते। 5 अप्रैल 2024 को देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अब अंतिम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को संवैधानिक करार दिया है। हाल ही में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने मदरसों को बंद करने का निर्देश कभी नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ मदरसों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, क्योंकि ये मदरसे गरीब मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर रहे हैं।

रोजनामा सहारा (23 अक्टूबर) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुसार किसी को भी धार्मिक शिक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। संविधान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब सभी धर्मों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो फिर सिर्फ मदरसा कानून को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना छात्रों के अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए और किसी को भी इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

उर्दू टाइम्स (28 अक्टूबर) ने कहा है कि मुसलमान मदरसों के सर्वे से भयभीत नहीं हैं, क्योंकि उन्हें संविधान के नियमों के तहत ही चलाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ वर्तमान सांप्रदायिक हुकूमत के लक्ष्य से डर है, जो किसी न किसी बहाने मुसलमानों के मजहब और शरिया में हस्तक्षेप करना चाहती है।

हिंदुस्तान (27 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर इस्लामी मदरसे न रहे तो भारत में इस्लाम के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

कौमी तंजीम (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस देश में इस्लाम और अल्पसंख्यक संस्थानों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं।

सहाफत (25 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में संतोष प्रकट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की लाज को बरकरार रखा है।

ईरानी सेना की फायरिंग में 250 अफगान नागरिक मरे

रोजनामा सहारा (19 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के 'एरियाना न्यूज' नामक रेडियो स्टेशन ने यह दावा किया है कि ईरान के कलगन-सरवन सीमा पर जब अफगान नागरिकों ने ईरान में दाखिल होने का प्रयास किया तो ईरानी सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें कम-से-कम 250 अफगान नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। ईरानी मानवाधिकार संगठन 'हलवाश' ने दावा किया है कि इस नरसंहार में जीवित बचे दो अफगान नागरिकों ने यह बताया कि लगभग 300 अफगान नागरिक अफगानिस्तान से ईरान की सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे तो उन पर ईरानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं, इसलिए दावे से यह बता पाना कठिन है कि इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह पुष्टि की है कि ईरानी सेना ने अफगान नागरिकों का नरसंहार किया है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में विस्तृत जांच करवा रहे हैं। इसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि कितने लोग ईरानी सेना की बर्बरता के शिकार हुए हैं।

दूसरी ओर, काबुल स्थित ईरानी राजदूत हसन काजमी कोमी ने कहा है कि यह खबर बेबुनियाद है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ईरान की सीमा में घुसपैठ करता है तो ईरानी सेना को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि ईरान सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि ईरान में अफगान मूल के जो 40 लाख नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें हर हाल में ईरान से निकाला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पश्चिमी देश जानबूझकर ईरानी सेना द्वारा अफगान नागरिकों के नरसंहार की बेबुनियाद खबरें वैश्विक मीडिया में फैला रहे हैं ताकि इन दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस घटना पर चिंता प्रकट की है और ईरान सरकार से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि दुनिया के सामने सच्चाई आ सके। गौरतलब है कि ईरानी सेना ने छह महीने पहले भी लगभग 200

ईरान में अफगान नागरिकों पर हो रही बर्बरता की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे।

मुंसिफ (18 अक्टूबर) के अनुसार ईरान सरकार ने कलगन-सरवन सीमा पर ईरानी सेना द्वारा अफगान नागरिकों पर गोली चलाने की घटना का खंडन किया है। ईरान सरकार ने कहा कि घुसपैठ की किसी भी घटना को रोकना ईरान का कानूनी अधिकार है। ईरानी सेना के सीमावर्ती क्षेत्र के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रजा शोजेई ने कहा है कि यह हकीकत है कि 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के बाद लाखों अफगान नागरिकों ने ईरान में शरण ली थी। अब उनकी नई पीढ़ी भी ईरान में रह रही है। इनकी संख्या 37 लाख बताई जाती है। उन्होंने कहा कि ये अफगान नागरिक ईरान विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और इनके कारण देश में तस्करी का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में ईरान में इजरायल के जो गुप्तचर पकड़े गए थे उनमें से कई अफगान नागरिक थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह जरूरी है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही कारण है कि ईरान सरकार ने ईरान में अवैध रूप से रहने वाले अफगान मूल के नागरिकों को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया है।

अफगान नागरिकों की हत्या इसी तरीके से की थी। इसके कारण दोनों देशों के संबंधों में काफी कटुता आ गई है।

औरंगाबाद टाइम्स (21 अक्टूबर) के अनुसार अफगान नागरिकों ने लंदन स्थित ईरानी दूतावास के बाहर जबर्दस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ईरानी सेना द्वारा अफगान नागरिकों के नरसंहार की घटना की जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन्हें दबा दिया। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी राजदूत को एक ज्ञापन देकर यह आरोप लगाया है कि ईरान सरकार ईरान में जन्म लेने वाले अफगान मूल के नागरिकों को देश से निष्कासित करने का अभियान चला रही है। अब तक 10 लाख अफगान नागरिकों को बंदूक की नोक पर ईरान से जबरन निष्कासित किया जा चुका है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि वह

अफगानिस्तान में टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (30 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश के सभी टेलीविजन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि वे सिर्फ ध्वनि का ही प्रसारण कर सकते हैं। उन्हें किसी भी चैनल पर कोई भी चित्र या चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं होगी। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति का चेहरा या चित्र दिखाना हराम है और इसे शरिया के खिलाफ माना जाता है। अल अरेबिया के अनुसार अफगानिस्तान के नेशनल रेडियो के महानिदेशक कारी यूसुफ अहमदी ने देश के सभी टेलीविजन चैनलों के प्रमुखों को अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें बताया कि तालिबान के प्रमुख मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने यह निर्देश दिया

है कि शरिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति की तस्वीर बनाना या उसका खाका बनाना या उसे दिखाना इस्लाम के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें फौरन अपना प्रसारण बंद कर देना चाहिए। भविष्य में अफगानिस्तान में सिर्फ रेडियो स्टेशनों को ही अपने कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही तालिबान सरकार ने अपने नेशनल टेलीविजन को भी बंद करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि निजी चैनलों को यह कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे दो महीने के अंदर अपने टेलीविजन चैनलों को रेडियो स्टेशनों में बदल दें। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले तालिबान सरकार ने यह निर्देश दिया था कि कोई भी महिला बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर किसी महिला ने इसका उल्लंघन किया तो उसे और उसके परिवारजनों को फौरन जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विवाह-शादियों में नाच-गानों पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है और सभी ब्यूटी सैलूनों को बंद कर दिया गया है। पुरुषों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दाढ़ी न मुडवाएं और पश्चिमी लिबास का इस्तेमाल न करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें तीन साल की कैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही एक लाख अफगानी रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र कई बार तालिबान सरकार से यह अनुरोध कर चुके हैं कि वे देश में शरिया कानूनों को लागू न करें। अगर उन्होंने इस निर्देश का उल्लंघन किया तो उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पश्चिमी देशों को हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अफगानिस्तान एक इस्लामी देश है और हम शरिया कानूनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बांग्लादेशी हिंदुओं का सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

हिंदुस्तान (27 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश में उत्पीड़न और नरसंहार के शिकार हिंदुओं ने हजारों की संख्या में चटगांव स्थित लालदीघी मैदान में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और अपनी सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी कि अगर बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही तो वे ढाका की ओर मार्च करेंगे और उसे घेर लेंगे। उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उन्हें जान व माल की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी। इस अवसर पर उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को एक ज्ञापन भी भेजा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, जो अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करके दोषियों को सख्त सजा देने की व्यवस्था करे। दंगों में बेघर हुए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए फौरन एक विशेष कानून बनाया जाए। इस कानून के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की ज्वाला भड़काने वालों और उनकी संपत्ति को लूटने वालों को मौत की सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों के विकास और सुरक्षा के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन करे, जिसका प्रमुख किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाए। देश के सभी शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा-अर्चना हेतु विशेष

व्यवस्था की जाए। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों के कल्याण के लिए तीन स्वशासी संगठन बनाए जाएं। अल्पसंख्यकों की लूटी गई संपत्ति की वापसी के लिए बनाए गए पुराने कानून को सख्ती से लागू किया जाए। संस्कृत एवं पाली भाषाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड का गठन किया जाए और दुर्गा पूजा के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में पांच दिन के अवकाश की व्यवस्था की जाए।

अल्पसंख्यकों की मांग पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की पर्यावरण मंत्री सईदा रिजवाना हसन ने पत्रकारों को बताया कि सरकार सनातन जागरण मंच के मांग पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार सभी कार्यालयों में दुर्गा पूजा के अवसर पर दो दिन का अवकाश देने की घोषणा की गई है। इससे पहले दुर्गा पूजा के लिए एक दिन का ही अवकाश दिया जाता था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हाल ही में अल्पसंख्यकों पर हमलों की कुछ घटनाएं हुई हैं। सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। गौरतलब है कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिरों पर हमलों में भारी वृद्धि हुई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पत्रकारों को बताया कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं को राजनीतिक कारणों से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

अवधनामा (25 अक्टूबर) के अनुसार ढाका में सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबर्दस्त झड़पें भी हुई। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो बांग्लादेश की सेना को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सेना की गोली से दो लोग घायल हो गए। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म किया जाए। ढाका के शहीद मीनार में आयोजित एक विरोध सभा में छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सरकार ने एक सप्ताह के भीतर वर्तमान संविधान को रद्द नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को हमारी मांगे मानने पर मजबूर कर देंगे।

मुंसिफ (28 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना सरकार के अपराधों की जांच के लिए जो ट्रिब्यूनल गठित की

थी उसने 20 लोगों की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इनमें बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख जियाउल अहसन, दस पूर्व मंत्री और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दो सलाहकार शामिल हैं। इन लोगों को ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के अनुसार शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सेना और पुलिस की गोली से लगभग एक हजार लोग मारे गए थे। ट्रिब्यूनल को इस संदर्भ में 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश सरकार ने तीन सदस्यीय जांच ट्रिब्यूनल का गठन किया है। इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा मजूमदार हैं। आरोपियों की सूची में जो पूर्व मंत्री शामिल हैं उनमें फारुक खान, राशिद खान मेनन, हसनुल हक इनु, जुनैद अहमद पालक, अब्दुर रज्जाक, शहजहां खान, कमाल अहमद मजूमदार और गुलाम दस्तगीर गाजी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शम्सुद्दीन चौधरी माणिक और पूर्व सचिव जहांगीर आलम का नाम भी इस सूची में है।

उर्दू टाइम्स (25 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने अवामी लीग के छात्र विंग बांग्लादेश छात्र लीग को आतंकी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 15 सालों में इस संगठन ने अनेक लोगों की हत्या की और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। इस संगठन के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और देशद्रोह के भी आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश छात्र लीग की स्थापना 1948 में की गई थी। इस संगठन को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है।

जर्मनी द्वारा इजरायल को दस करोड़ डॉलर के हथियार का निर्यात

हिंदुस्तान (26 अक्टूबर) ने दावा किया है कि जर्मन विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी ने पिछले तीन महीनों में इजरायल को दस करोड़ डॉलर के हथियार निर्यात किए हैं। हथियारों के इस निर्यात को जर्मनी के मानवाधिकार संगठन ने अदालत में चुनौती दी है। जर्मनी की संसद में एक प्रश्न के उत्तर में जर्मन सरकार ने यह स्वीकार किया था कि उसने पिछले तीन महीने में इजरायल को 101 मिलियन डॉलर मूल्य के हथियारों के निर्यात की मंजूरी दी थी। यूरोपियन सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स की ओर से जर्मनी द्वारा इजरायल को हथियार सप्लाई करने के खिलाफ फ्रैंकफर्ट की एक अदालत में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि अदालत जर्मन सरकार को यह निर्देश दे कि भविष्य में वह इजरायल को हथियार सप्लाई न करे, क्योंकि इजरायल इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा और लेबनान में नरसंहार के लिए कर रहा है।

जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने यह पुष्टि की है कि विदेशों को हथियार निर्यात करने के फैसले से पहले इस पर बारिकी से अध्ययन किया जाता है और हथियार सप्लाई करने की अनुमति देने से पूर्व उसके मानवीय पक्षों पर भी विचार किया

जाता है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि जर्मनी इजरायल सरकार के इस आश्वासन का इंतजार कर रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा और इनका इस्तेमाल केवल इजरायल की सुरक्षा के लिए ही किया जाएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार जर्मनी में कई मुस्लिम संगठनों ने जर्मनी द्वारा इजरायल को हथियारों की सप्लाई करने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि जर्मनी की सरकार अतिवादी इस्लामी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और अभी तक वह एक दर्जन से अधिक मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इन संगठनों के तार ईरान के अतिवादी इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये संगठन हिंसा के जरिए जर्मनी की वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके देश में इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं, जो जर्मनी की विचारधारा के खिलाफ है। प्रवक्ता ने कहा कि जो मुसलमान आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उन्हें जर्मनी से फौरन निष्कासित कर दिया जाएगा। हम अपने देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इंडोनेशिया में हलाल कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला

हिंदुस्तान (17 अक्टूबर) के अनुसार इंडोनेशिया की सरकार ने यह घोषणा की है कि बिना हलाल लेबल के देश में किसी भी खाद्य पदार्थ को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की सरकार ने सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और खाद्य पदार्थ बेचने वाले

दुकानों को यह निर्देश दिया है कि वे भविष्य में कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ न बेचें, जिस पर हलाल का लेबल न लगा हो। इंडोनेशिया सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारा देश एक इस्लामी देश है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए शरिया के अनुसार जीवन व्यतीत करना अनिवार्य है। शरिया में मुसलमानों को उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है, जो हलाल प्रमाणित हों। इस नीति के तहत पुलिस द्वारा देश में किराने की सभी दुकानों और वस्तुओं की जांच की जा रही है। जिस भी दुकान में बिना हलाल लेबल के कोई भी खाद्य सामग्री पड़ी पाई जाएगी उसे फौरन जब्त कर लिया जाएगा। अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इंडोनेशिया सरकार की इस नीति के कारण उन्हें वहां पर कारोबार करने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके स्टोरों में बिना हलाल लेबल के काफी वस्तुएं बेची जा रही थीं। अब उन्हें अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि इंडोनेशिया सरकार ने इस संदर्भ में कोई भी नरमी बरतने से इंकार कर दिया है।

गौरतलब है कि इस्लाम में सूअर का मांस व शराब जैसे पदार्थों को बेचना या उनका इस्तेमाल करना हराम माना जाता है। इसके अतिरिक्त सिर्फ ऐसे मांस का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें जानवर को हलाल तरीके से जिबह किया गया हो। इंडोनेशिया के हलाल प्रमाणन निकाय के प्रमुख मुहम्मद अकील इरहाम ने बताया कि कुछ छोटे व्यापारियों ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ अवधि के लिए बिना हलाल लेबल वाली वस्तुओं को बेचने की छूट दी जाए, लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इरहाम ने कहा कि हमने देश के सभी स्टोरों को यह निर्देश दिया है कि वे सिर्फ ऐसे माल बेचें, जिस पर हलाल का लेबल लगा हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ पर हलाल का लेबल नहीं लगा होगा तो उसे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कौमी तंजीम (22 अक्टूबर) के अनुसार इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने देश के आठवें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। अरब न्यूज के अनुसार 73 वर्षीय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुबियांतो इंडोनेशिया के सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें इस वर्ष हुए राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 60 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। वे पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के दामाद हैं। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो से कार्यभार लिया है। जोको विडोडो दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। विडोडो के बड़े बेटे जिबरान राकाबुमिंग राका को इंडोनेशिया का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुबियांतो ने घोषणा की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे और उनलोगों के विकास पर भी ध्यान देंगे, जिन्होंने चुनावों में उन्हें वोट नहीं दिए।

तुर्किये की विमानन कंपनी पर आतंकी हमला

हिंदुस्तान (24 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये की राजधानी अंकारा में सैन्य विमान बनाने वाली फैक्ट्री टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 20 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। समाचारपत्रों के अनुसार 12 आतंकवादियों ने इस भवन पर आत्मघाती हमला किया। एक आतंकवादी ने विस्फोट करके स्वयं को उड़ा लिया। इसके बाद छह आतंकवादियों ने एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकवादी मारे गए। तुर्किये के गृह मंत्री अली येर्लिकाया ने कहा कि यह एक आतंकी हमला था। इस हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के आतंकवादियों का हाथ था। यह एक प्रतिबंधित संगठन है, जिसका मुख्यालय सीरिया में है। इस संगठन की नींव 1978 में रखी गई थी। यह आतंकी संगठन आजाद कुर्दिस्तान देश का समर्थक है और यह संगठन तुर्किये की गुलामी से मुक्ति पाना चाहता है। कुर्द एक कबीला है। इस कबीले के लोग तुर्किये, इराक और सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। कुर्दों की मांग है कि जिन क्षेत्रों में उनका बहुमत है उन्हें इकट्ठा करके आजाद कुर्दिस्तान की स्थापना की जाए। इस संगठन के लोग तुर्किये, इराक और सीरिया की सरकारों के खिलाफ कई दशक से सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस हमले की निंदा की है।

अवधनामा (26 अक्टूबर) के अनुसार पीकेके ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और कहा है कि यह हमला उसके आत्मघाती दस्ते के पांच लोगों ने किया था। इस हमले में तुर्किये सरकार से जुड़े कम-से-कम 20 लोग मारे गए हैं और 50 घायल हुए हैं। इस हमले के बाद तुर्किये की सेना और गुप्तचर संगठनों ने प्रतिबंधित पीकेके से जुड़े लोगों की तलाश में देशभर में छापे मारे और 150 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। तुर्किये के सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि तुर्किये के लड़ाकू विमानों ने इराक, सीरिया और तुर्किये की सीमा पर स्थित विद्रोहियों के शिविरों

और गोला बारूद के भंडारों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में लगभग 100 विद्रोही मारे गए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये की सेना मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि तुर्किये की वायुसेना ने इराक और सीरिया के दो दर्जन ठिकानों पर हमले किए हैं। ये ठिकाने प्रतिबंधित विद्रोही संगठन पीकेके के बताए जाते हैं। अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन ने भी इस हमले की निंदा की है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये की सेना ने इन हमलों में 100 से अधिक लोगों को मारा है, जो आतंकवादी संगठन से संबंधित हैं। जबकि कुर्दिश संगठन पीकेके के अनुसार तुर्किये की सेना ने गांवों पर हमले किए हैं, जिसमें 12 नागरिक मारे गए हैं।

तुर्किये के कट्टरपंथी मुस्लिम नेता का निधन

रोजनामा सहारा (22 अक्टूबर) के अनुसार तुर्किये के कट्टर इस्लामिक प्रचारक 83 वर्षीय फतेहुल्लाह गुलेन का अमेरिका में निधन हो गया है। गुलेन पिछले कई सालों से अमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी वे तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के सबसे घनिष्ठ मित्र समझे जाते थे। बाद में इन दोनों नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए। एर्दोगन ने उन्हें 2016 में तुर्किये की सेना में हुए विद्रोह का दोषी करार दिया था। एर्दोगन का तख्तापलट की कोशिश में 250 से अधिक सैनिक मारे गए थे और दो हजार से अधिक घायल हो गए थे। सैन्य विद्रोह विफल हो जाने के बाद विद्रोही गुट के 200 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को विद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था।

फतेहुल्लाह गुलेन का जन्म 1941 में तुर्किये के एरजुरम क्षेत्र में हुआ था। वे एक इमाम के बेटे थे। उन्होंने बचपन में ही कुरान का अध्ययन कर लिया था। वे 1959 में तुर्किये स्थित एक मस्जिद के इमाम बने। इसके साथ ही उन्होंने पूरी गति से इस्लाम का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया। उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए विश्व के 36 देशों में इस्लामी मदरसों का नेटवर्क स्थापित किया था। इस नेटवर्क में 25 हजार से अधिक मदरसे शामिल थे। प्रारंभ में गुलेन रजब तैयब एर्दोगन की पार्टी के समर्थक थे। 2013 में जब एर्दोगन पर

भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इन दोनों नेताओं के संबंधों में खटास आ गई। गुलेन के साम्राज्य में विश्व के 140 देशों में व्यापारिक संस्थान, कई बैंक व बीमा कंपनियां भी शामिल थे। एर्दोगन ने उनके संगठन को आतंकी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद फतेहुल्लाह गुलेन भागकर अमेरिका चले गए थे और वे वहीं पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे।

कहा जाता है कि गुलेन तुर्किये के प्रशासन को कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर चलाना चाहते थे। जबकि सेना इसके खिलाफ थी। तुर्किये में काफी समय तक सैन्य शासन भी रहा है। 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा उर्फ कमाल अतातुर्क ने ऑटोमन खिलाफत का खात्मा कर दिया था और इसके अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को अपनी जान बचाकर फ्रांस भागना पड़ा था। कमाल अतातुर्क ने देश में सभी इस्लामी मदरसों को बंद कर दिया था। देश में अरबी लिबास पहनने वालों को मौत की सजा दी जाने लगी थी। अतातुर्क ने यह भी आदेश दिया था कि कुरान की लिपि अरबी में नहीं होनी चाहिए और तुर्किये में वही कुरान पढ़ाया जाना चाहिए, जो तुर्की भाषा में हो और जिसकी लिपि रोमन हो। उनके इस फैसले के खिलाफ इस्लामी जगत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसके साथ ही मौलवियों ने भी यह फतवा जारी किया था कि हिंदुस्तान एक गैर-इस्लामी देश है, इसलिए मुसलमानों को उसे छोड़कर इस्लामी देशों में शरण लेनी चाहिए। इस फतवे के कारण 17 हजार हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अफगानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसे अफगान सरकार ने विफल बना दिया था। सीमा पर हुई झड़पों में 2000 से अधिक हिंदुस्तानी मुसलमान मारे गए थे।

तुर्किये नाटो संधि का सदस्य है, इसलिए वहां की सेना को उदारवादी माना जाता है। सेना यह चाहती है कि तुर्किये में सेक्युलर और आधुनिक आधारों पर शिक्षा दी जानी चाहिए। जबकि फतेहुल्लाह गुलेन देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, जो शरिया पर आधारित हो और मदरसों मे अरबी भाषा की शिक्षा दी जाए। सेना के दबाव के कारण गुलेन की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके दो हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में इसी पार्टी के नेता रजब तैयब एर्दोगन ने सत्ता के लिए सेना से समझौता कर लिया। इसके कारण गुलेन और एर्दोगन के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गए। कहा जाता है कि गुलेन ने विदेशी सहायता से एर्दोगन की सरकार का तख्ता पलटने के लिए सैन्य विद्रोह का संचालन किया था। यह विद्रोह विफल रहा था। एर्दोगन ने गुलेन को देशद्रोही और आतंकवादी घोषित कर दिया था और अमेरिका से सरकारी तौर पर कम-से-कम सात बार यह अनुरोध किया था कि गुलेन को तुर्किये सरकार के हवाले कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। विदेशी मीडिया के अनुसार तुर्किये में सैन्य विद्रोह के बाद 77 हजार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तार किए गए लोगों में विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी और सैन्य अधिकारी शामिल थे। तुर्किये सरकार ने गुलेन द्वारा संचालित दस हजार इस्लामी मदरसों को गैर-कानूनी घोषित करके उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुलेन के खिलाफ देशद्रोह, फर्जीवाड़ा और जासूसी आदि के आरोप में तुर्किये के विभिन्न अदालतों में सौ से अधिक मुकदमें चल रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि गुलेन के तार कई कट्टरपंथी इस्लामिक देशों की सरकारों से भी जुड़े हुए थे।

हमास प्रमुख याह्या सिनवार की हत्या

कौमी तंजीम (19 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया था कि इजरायली सेना ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है। बाद में हमास ने भी सिनवार के मारे जाने की विधिवत पुष्टि कर दी है। वरिष्ठ हमास नेता खलील अल-हय्या को याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है।

अवधनामा (20 अक्टूबर) के अनुसार हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि याह्या सिनवार की मौत से हमास को जबर्दस्त धक्का लगा है, लेकिन इजरायल के खिलाफ हमारा संघर्ष पूर्वत: जारी रहेगा। हम आखिरी गोली और आखिरी व्यक्ति के मारे जाने तक इजरायल के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हमास आजादी का एक आंदोलन है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जब तक इजरायल का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमास के हर व्यक्ति की हत्या के साथ इजरायल के खिलाफ युद्ध में नया जोश आया है और इजरायल के खात्मे की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि इजरायल ने हमास के तत्कालीन प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हत्या कर दी थी। हानियेह ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गया था। उसकी हत्या के बाद याह्या सिनवार को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था।

सियासत (21 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल सरकार ने दावा किया है कि सिनवार गाजा के दक्षिणी शहर रफा के तेल अल-सुल्तान

क्षेत्र में मारा गया है। इजरायल सरकार ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सिनवार का शव क्षत-विक्षत पड़ा हुआ है। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा उड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरतलब है कि सिनवार हमास का नेतृत्व संभालने के बाद गुमनाम तरीके से एक अज्ञात जगह पर रह रहा था। इजरायली गुप्तचर पिछले एक साल से उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे थे। बताया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले की योजना सिनवार ने ही बनाई थी। शव के डीएनए टेस्ट के बाद इजरायली सेना ने यह घोषणा की कि याह्या सिनवार का खात्मा हो चुका है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में छिपे हमास के तीन प्रमुख कमांडरों का भी खात्मा कर दिया है।

हिंदुस्तान (19 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार का मारा जाना इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक शुभ घटना है। 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड की मौत से यह साबित होता है कि विश्व का कोई भी आतंकवादी न्याय से नहीं बच सकता। उसे उसके कारनामों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि सिनवार की हत्या के बाद गाजा में युद्ध की समाप्ति की संभावना बढ़ गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि हमारे दुश्मन बच नहीं सकते। चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, लेकिन हम उनका पता लगाकर उन्हें मार देंगे।

मुंसिफ (20 अक्टूबर) के अनुसार हमास के नवनियुक्त प्रमुख खलील अल-हय्या ने अपने संबोधन में कहा है कि सिनवार ने हमारी आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। वह बहुत ही बहादुरी से इजरायली सेना के सामने अपनी आखिरी सांस तक डटा रहा। उसने हथियार नहीं डाले और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अल-हय्या ने कहा कि हम सिनवार की मौत का बदला लेकर रहेंगे। हम इजरायली बंधकों को तब तक मुक्त नहीं करेंगे जब तक इजरायल गाजा में अपने हमले बंद नहीं कर देता और वहां से अपनी सेना को वापस नहीं बुला लेता।

कौमी तंजीम (20 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली सेना सिनवार से पहले भी हमास के कई वरिष्ठ कमांडरों की हत्या कर चुकी है। 1996 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख याह्या अय्याश की हत्या फोन में धमाका करके कर दी। 22 मार्च 2004 को हमास के सैन्य विंग के संस्थापक शेख अहमद यासीन की गाजा में हत्या कर दी गई। इसके बाद हमास के तत्कालीन प्रमुख अब्देल अजीज अल-रंतिसी एक इजरायली हमले में मारा गया।। 26 सितंबर 2004 को हमास के सेना प्रमुख शेख खलील की हत्या कर दी गई। 2009 में हमास के दो प्रमुख नेता निजार रेयान और सईद सेयाम इजरायली हमले में मारे गए। सईद सेयाम गाजा में हमास के गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा था। 2010 में इजरायली एजेंटों ने हमास नेता महमूद अल-मबहौह की दुबई में हत्या कर दी। 2012 में इजरायल ने अल-कस्साम ब्रिगेड के उप कमांडर अहमद अल-जबारी की हत्या कर दी।

अगस्त 2014 में गाजा के रफा में इजरायली हवाई हमले में हमास के तीन शीर्ष कमांडर मोहम्मद अबू शम्माला, राएद अल अतर, और मोहम्मद बरहौम मारे गए। इसी साल के जनवरी महीने में हमास के उप प्रमुख सालेह अल-अरौरी की हत्या कर दी गई। उसके साथ उसके कई सहयोगी भी मारे गए। जुलाई 2024 में हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ भी मारा गया। इसी महीने के अंत में हमास के तत्कालीन प्रमुख इस्माइल हानियेह की तेहरान में हत्या कर दी गई।

सियासत (24 अक्टूबर) के अनुसार मिस्र ने सिनवार को यह पेशकश की थी कि वह गाजा छोड़कर मिस्र में शरण ले ले, लेकिन उसने इस पेशकश को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह अपने अंतिम सांस तक इजरायल के खिलाफ लड़ता रहेगा।

शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया प्रमुख

अवधनामा (30 अक्टूबर) के अनुसार 71 वर्षीय शेख नईम कासिम को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद ने शेख नईम कासिम को हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। शेख नईम कासिम 1953 में लेबनान के एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ था। उसने इस्लाम की शिक्षा अयातुल्लाह मोहम्मद हुसैन फदलल्लाह के संरक्षण में ली। लेबनान विश्वविद्यालय से उसने रसायन शास्त्र में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। वह लेबनानी मुस्लिम छात्र संघ के संस्थापक संस्थापक सदस्यों में से एक है। इस संगठन की स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। 1974 में वह लेबनानी शिया अमल आंदोलन में शामिल हो गया, लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद वह इस आंदोलन से अलग हो गया। 1982 में इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की गई तो नईम कासिम इस संगठन में शामिल हो गया। प्रारंभ में उसने अब्बास अल-मुसावी के सहायक के रूप में काम किया। 1992 में इजरायली हमले में मुसावी मारा गया। उसके मारे जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी हसन नसरल्लाह को बनाया गया। इसके साथ ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। नईम कासिम 1974-1988 तक एसोसिएशन फॉर इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन का प्रमुख भी रहा। अब हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल ने शेख नईम कासिम को हसन नसरल्लाह के स्थान पर हिजबुल्लाह का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इस साल के 27 सितंबर को जब लेबनान की राजधानी बेरूत में एक इजरायली हमले में नसरल्लाह अपने कई सहयोगियों सहित मारा गया तो उसका उत्तराधिकारी उसके नजदीकी रिश्तेदार हाशिम सफीद्दीन को बनाया गया। हाशिम को इसी महीने की शुरुआत में इजरायल ने मार गिराया। बाद में हिजबुल्लाह ने भी हाशिम सफीद्दीन के मारे जाने की पुष्टि कर दी। अब इस संगठन का नया प्रमुख शेख नईम कासिम को नियुक्त किया गया है।

उर्दू टाइम्स (24 अक्टूबर) के अनुसार हासिम सफीद्दीन के साथ-साथ हिजबुल्लाह के खुफिया प्रमुख अली हुसैन हाजिमा सहित हिजबुल्लाह के छह अन्य कमांडर भी मारे गए थे।

ईरान के सैन्य अड्डों और मिसाइल फैक्ट्रियों पर इजरायल का हमला

औरंगाबाद टाइम्स (27 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल पर ईरानी हमलों के जवाब में इजरायल ने 25 दिनों बाद ईरान पर जबर्दस्त हमला किया है। इजरायल ने विमानों और मिसाइलों से तीन घंटे तक ईरान पर हमला किया। इजरायल की ओर से ईरान पर 200 से अधिक मिसाइल दागे गए। इस हमले में ईरान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने ईरान पर हमले के लिए 100 से अधिक सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया, जिनमें अत्याधुनिक एफ-35 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इजरायल ने दावा किया है कि उसका यह हमला सफल रहा है और इस हमले में ईरान के कई हवाई अड्डों के साथ-साथ सैन्य ठिकानों और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी क्षति पहुंची है। इस हमले के बाद इजरायल, ईरान और इराक ने अपनी-अपनी वायु सीमाएं बंद कर दी हैं। अमेरिका ने इस इजरायली हमले का समर्थन किया है और कहा है कि यह हमला ईरानी हमले के जवाब में किया गया था। ईरान ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये हमले तेहरान, खुजेस्तान और ईलाम प्रदेशों पर किए गए। अधिकांश मिसाइलों को उनके निशाने पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया, इसलिए ईरान को इससे बहुत कम नुकसान हुआ है और ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्र व तेल के भंडार पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पर दबाव डाला था कि वह परमाणु ऊर्जा केंद्रों और तेल के भंडारों को अपना निशाना न बनाए। अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वह इजरायल के इस हमले का जवाब न दे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजरायल ने यह दावा किया है कि इस हमले में तेहरान, शीराज और करज आदि क्षेत्रों में ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान के तीन हवाई अड्डे तबाह

कर दिए गए हैं। सऊदी अरब ने इजरायल के इस हमले की निंदा की है। इस हमले की निंदा करने वाले अन्य देशों में पाकिस्तान, चीन, रूस और जॉर्डन भी शामिल हैं। मलेशिया ने दोनों देशों से अपील की है कि वे युद्ध का विस्तार न करें, क्योंकि इससे विश्व की शांति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।

एतेमाद (28 अक्टूबर) ने दावा किया है कि यहूदी ईरान की ताकत और कौम की दृढ़ निश्चय से अवगत नहीं हैं। जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हम इजरायली हमले का जवाब अपने समयानुसार देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों को यह समझ लेनी चाहिए कि हम अपनी भूमि की सुरक्षा करने की ताकत रखते हैं। ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हम सही समय पर इस हमले का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है, इसलिए विश्व को एकजुट होकर इजरायल के आक्रामक इरादों को विफल बनाना चाहिए। अमेरिकी अखबार 'वाल स्ट्रीट जर्नल' ने यह दावा किया है कि इजरायली विमानों ने ईरान के 23 स्थानों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान का एस-300 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। गौरतलब है कि वायु रक्षा के इस सिस्टम को रूस ने ईरान को 2016 में उपलब्ध कराया था।

रोजनामा सहारा (23 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में इजरायली हमले की निंदा की है और आरोप लगाया है कि इजरायल विश्व को एक नए युद्ध की ओर धकेल रहा है।

एतेमाद (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में चिंता प्रकट की है कि मुस्लिम देश इजरायल के हमले का जवाब देने के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं।

हिंदुस्तान (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि ईरान पर इजरायली हमले के कारण पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपेट में आ गया है। इसके कारण भारी तबाही हो सकती है।

कौमी तंजीम (29 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लक्षित हमले किए हैं, जिससे ईरान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं। समाचारपत्र ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण ईरान के परमाणु ऊर्जा केंद्रों और तेल के भंडारों को अपना निशाना नहीं बनाया है।

उर्दू टाइम्स (29 अक्टूबर) के अनुसार ईरान ने अपनी सेना को इजरायल पर जवाबी हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान को इजरायल पर जवाबी हमला करने का निर्देश दे दिया है।

सूडान में गृहयुद्ध में सैकड़ों मरे

रोजनामा सहारा (27 अक्टूबर) के अनुसार मध्य सूडान के एक गांव पर सूडान के अर्धसैनिक रेपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। एक गैर-सरकारी संगठन के अनुसार आरएसएफ ने तोपों से सूडान के अल-गेजीरा प्रदेश में स्थित एक गांव पर हमला किया। सूडान के विदेश मंत्रालय ने इस बदले की कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि सरकारी सेना इन विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इन हमलों के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बताया जाता है कि आरएसएफ ने यह हमला बदले की भावना से किया है, क्योंकि हाल ही में इस संगठन के एक वरिष्ठ कमांडर अबुगला कैकल ने आरएसएफ को छोड़कर सरकारी सेना में शामिल होने का ऐलान किया था।

इंकलाब (24 अक्टूबर) के अनुसार सूडान के अल-गेजीरा प्रदेश की राजधानी वाड मदानी में स्थित एक मस्जिद को सरकारी सेना ने निशाना बनाया। यह क्षेत्र आरएसएफ का गढ़ माना जाता है। इस हमले में लगभग 70 लोग मारे गए। ये लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। आरएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक यह कहना मुश्किल है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि मरने वाले अधिकांश लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और शवों की गिनती की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस बर्बर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

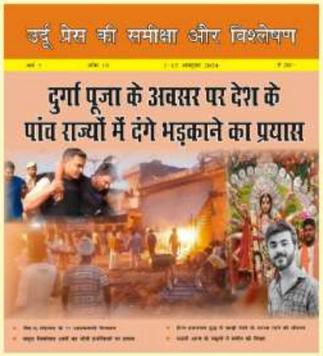

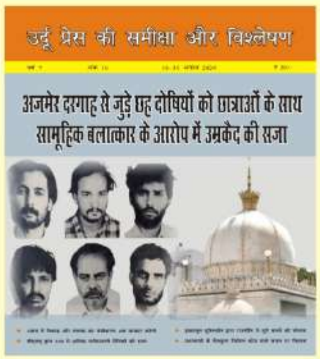

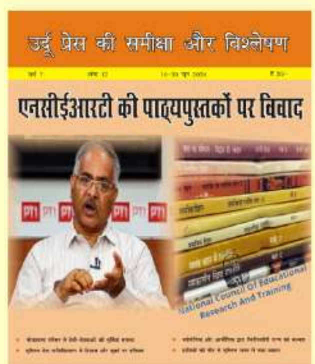

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in